**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2007

**( आयकर )**

**का.आ. 1386( अ ).–** आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के उप-खंड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का.आ.882(अ) दिनांक 14.9.2001 और इसकी परवर्ती अधिसूचनाओं के तहत, तथा अधिसूचना का.आ.732(अ) दिनांक 3.7.2001, जहाँ तक वे इस अधिसूचना के कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों से संबंधित हैं, का आंशिक अधिक्रमणण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जाने वाली या छोड़ी जाने वाली संबंधित चीजों को छोड़कर, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्‌द्वारा:-

(क) निदेश देता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम 3 में समनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट स्थानों पर है, उक्त अनुसूची के कॉलम 4 में निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में, कॉलम 5 में तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट ऐसे मामलों या मामलों की श्रेणियों या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में, कॉलम 6 में निर्दिष्ट कार्यों को सम्पन्न करेंगे तथा अधिकारों का प्रयोग करेंगे;

(ख) उक्त अनुसूची के कॉलम 5 में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्दिष्ट ऐसी आय या आय की श्रेणियों या ऐसे मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में अपने अधीनस्थ संयुक्त आयकर आयुक्तों द्वारा अधिकारों के प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए इस अधिसूचना में उल्लिखित आयकर आयुक्तों को अधिकृत करता है; और

(ग) इस अधिसूचना के खंड (ख) के अंतर्गत आयकर आयुक्तों द्वारा अधिकृत संयुक्त आयकर आयुक्तों के संबंध में, उक्त अनुसूची के कॉलम 5 में तदनुरूपी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट ऐसी आय या आय की श्रेणियों या मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अधिकारों के प्रयोग तथा कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए इस अधिसूचना के खंड (ख) में उल्लिखित संयुक्त आयकर अधिकारियों को भी अधिकृत करता है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

## अनुसूची

| क्रम संख्या | आयकर प्राधिकारियों का पद | मुख्यालय | प्रादेशिक क्षेत्र | व्यक्ति और व्यक्तियों की श्रेणी | अधिकार और कार्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), चंडीगढ | चंडीगढ | पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा चंडीगढ़ संघ क्षेत्र की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 2. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), दिल्ली | दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 |

3455 GI/7-2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | से भिन्न,<br>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 3. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), जयपुर | जयपुर | राजस्थान राज्य की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न,<br>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | |
| 4. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), अहमदाबाद | अहमदाबाद | गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली संघ क्षेत्र की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 5. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), मुम्बई | मुम्बई | महाराष्ट्र राज्य में वृहत मुम्बई तथा नवी मुम्बई नगर निगम की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति; | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 6. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), पूणे | पूणे | का.आ.732(अ) दिनांक 31.7.2001 तथा का.आ.733(अ) दिनांक 31.7.2001 में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में सीसीआईटी, पूणे, सीसीआईटी-II, पूणे, सीसीआईटी, नासिक तथा सीसीआईटी, थाणे के क्षेत्राधिकार के अधीन प्रादेशिक क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो; | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | और कार्य। |
| 7. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), नागपुर | नागपुर | का.आ.732(अ) दिनांक 31.7.2001 तथा का.आ.733(अ) दिनांक 31.7.2001 में विनिर्दिष्ट महाराष्ट्र राज्य में सीसीआईटी, नागपुर के क्षेत्राधिकार के अधीन प्रादेशिक क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 8. | आयकर आयुक्त | बंगलौर | कर्नाटक तथा गोवा राज्यों | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न | कॉलम 5 में उल्लिखित |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (टीडीएस), बंगलौर | | की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 9. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), कोचीन | कोचीन | केरल राज्य तथा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 10. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), चेन्नई | चेन्नई | तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी संघ क्षेत्र की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | व्यक्ति। | |
| 11. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), हैदराबाद | हैदराबाद | आंध्र प्रदेश राज्य की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 12. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), भुवनेश्वर | भुवनेश्वर | उड़ीसा राज्य की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो; | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) [illegible] 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 13. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), कोलकाता | कोलकाता | पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | |
| 14. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), भोपाल | भोपाल | (i) मध्य प्रदेश राज्य की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र<br>(ii) छत्तीसगढ़ राज्य की प्रादेशिक सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | क) कॉलम 4 में (i) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए;<br>कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य।<br><br>ख) कॉलम 4 में (ii) पर उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के लिए;<br>कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ङ., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 से भिन्न,<br>आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 15. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), लखनऊ | लखनऊ | का.आ.732(अ) दिनांक 31.7.2001 तथा का.आ.733(अ) दिनांक 31.7.2001 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य में सीसीआईटी, लखनऊ, सीसीआईटी, इलाहाबाद, तथा सीसीआईटी, बरेली के क्षेत्राधिकार के अधीन प्रादेशिक क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 16. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), कानपुर | कानपुर | का.आ.732(अ) दिनांक 31.7.2001, का.आ.733(अ) दिनांक 31.7.2001 तथा का.आ.185(अ) दिनांक 12.02.2007 में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ड., 195, 196क, 196ख, 196ग, 196घ और 197 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | राज्यों में सीसीआईटी, कानपुर, सीसीआईटी, गाजियाबाद, तथा सीसीआईटी, देहरादून के क्षेत्राधिकार के अधीन प्रादेशिक क्षेत्र। | वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | से भिन्न, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |
| 17. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), पटना | पटना | बिहार तथा झारखंड राज्यों की प्रादेशकि सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | |
| 18. | आयकर आयुक्त (टीडीएस), गुवाहाटी | गुवाहाटी | असम, मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों की प्रादेशि सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र। | (क) कारोबार या पेशा से आय से भिन्न अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न तथा कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर रहने वाले व्यक्ति;<br>(ख) कारोबार या पेशा से आय प्राप्त करने वाली कंपनियों से भिन्न व्यक्ति तथा जिनके कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर हो;<br>(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17) के अंतर्गत यथा परिभाषित कंपनी के रूप में व्यक्ति और जिनका पंजीकृत कार्यालय या कारोबार का मुख्य स्थान कॉलम 4 में उल्लिखित क्षेत्र में हो;<br>(घ) कॉलम 4 में उल्लिखित प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख या अध्याय XVII-खख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए या स्रोत पर कर संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति। | कॉलम 5 में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XVII, XVII-ख और अध्याय XVII-खख के अंतर्गत कर की कटौती या कर के संग्रहण से संबंधित सभी अधिकार और कार्य। |

[अधिसूचना सं. 224/2007/फा.सं. 187/11/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

**टिप्पणी :** प्रधान अधिसूचना, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 732(अ), दिनांक 3-7-2001 के तहत प्रकाशित की गई तथा सं. का.आ. 857(अ), दिनांक 31-5-2007 के तहत पिछला संशोधन किया गया।